न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
12/2024	**प्रा.पत्र 251-A RTA**	**20.02.2024**	**18.12.2024**

1. सुरेन्द्रसिंह दतक पुत्र उच्छब कंवर, जाति राजपूत, निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू

—प्रार्थीया—

बनाम

1. हासम खां पुत्र जीतू खां कायमखानी, निवासी—सहजूसर, तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री विनोदकुमार सोनी प्रार्थी
2. अधिवक्ता अप्रार्थी ताहीर खान अप्रार्थी सं. 01

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि झारिया, तहसील व जिला चूरू मे अप्रार्थी स. 01 की खातेदारी वा काश्त की है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत 2071 से 2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र हाजा के साथ पेश है एवं प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 05 वाके रोही कडवासर, पटवार हल्का सहजूसर अप्रार्थी के उक्त खेत खसरा ख. 290 के निकट स्थित हैं ।

2. यह कि अप्रार्थी स. 01 का खेत सहजुसर से भामासी को जाने वाले आम रास्ते पर स्थित हैं जिस रास्ते से ग्राम के निवासियों द्वारा वर्षो से आवागमन हो रहा है — किन्तु अप्रार्थी स. 01 के खेत खसरा में से सजुमर से भामासी जाने तक का रास्ता कटानी नहीं काटा हुआ मौके पर स्थित हैं कटानी रास्ता नहीं होने की वजह से आवगमन में काफी परेशानी आती हैं कृषि के उपकरण लाने ले जाने में भी लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ता हैं लोगो को भामासी जाने हेतु काफी समय लगता हैं एवं केवल अप्रार्थी म. 01 के खेत खसरा स. 290 जो उक्त रास्ते के बिच में स्थित हैं और जिस अकेले पर कोई कटानी रास्ता वर्तमान में स्थित नहीं हैं और अन्य कोई विकल्प भी मौजूद नहीं

3. यह कि प्रार्थी एवं गावं के व्यक्तियों द्वारा अप्रार्थी सं. 01 को अपने खेत खसरा नं. 290 में से रास्ता दिए जाने पर निवेदन किया गया जिस पर अप्रार्थ में 01 राजी हो गया एवं अपने खेत खसरा स. 290 में से कटानी रास्ता निकाले जाने हेतु दिनांक 24.02.2023 को एक लिखित में प्रार्थना—पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय को अपनी उक्त खेत खसरा म. 290 में से आम रास्ता काटने की स्वम की सहमती के साथ निवेदन किया जिस पर श्रीमान पटवारी महोदय द्वारा दिनांक 05.04.2023 को मौका निरीक्षण भी कि[illegible] एवं उक्त रास्ता को राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार राजस्व अभिलेख [illegible] खातेदार एवं ग्राम वासियों को कोई आपति नहीं होने का [illegible] नक्शा में अंकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:05 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि अप्रार्थी स. 01 के सहमती स्वरूप प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के [illegible] आज दिनांक तक अप्रार्थी के खेत खसरा स. 290 वाके रोही सहजुसर में से कोई आम रास्ता कटानी न तो राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है और न ही मौके पर काटा गया है जिससे प्रार्थी, अप्रार्थी

सं. 01 व अन्य ग्राम वासिया को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वर्तमान में चने व सरसों की फसले खेतो में खड़ी हैं जिन्हें भी मार्केट में पहुँचाने में काफी दिकत आयेगी कई बार उबड़--खाबड़ जमीन होने से ऊट--गाडा, ट्रेक्टर आदि भी पलट जाते हैं जिससे ग्राम वासियों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है।

5. यह कि अप्रार्थी स. 02 से कोई अनुतोष नही चाहा गया हैं-- तहसीलदार महोदय उक्त कृषि भूमि के भूस्वामी हैं एवं कटानी रास्ता इन्ही के मार्फत काटा जाना हैं अतः धारा 80 सी.पी. सी. का नोटिस दिये बिना श्रीमान जी की स्वीकृति से यह प्रार्थना--पत्र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त कटानी रास्ता खोले जाने बाबत मौके पर कोई विवाद नहीं हैं और खातेदार द्वारा पूर्व में भी अपनी लिखित सहमती अपने खेत खसरा म. 290 में रास्ता काटे जाने पर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं उक्त रास्ते की अत्यंत एव सदभाविक आवश्यकता भी प्रार्थी, अप्रार्थी स. 01 एवं समस्त ग्राम वासियों को मौके पर है – जिस हेतु प्रार्थना--प्रार्थी हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अप्रार्थी की कृषि भूमि खेत ख न 290, भूमि गेही महजुमर जिला चुरू में में आम कटानी रास्ता काटा जावें एवं राजस्व अभिलेख में भी दर्ज किया जाव बदी कृपा होगी।

प्रार्थना--पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ताहिर खान ने वकालतनामा पेश किया तथा अंकित किया यदि प्रार्थना--पत्र के अनुसार रास्ता कायम किया जाता है तो हमें कोई आपति नहीं है। जिस पर तहसीलदार चूरू से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार चूरू से प्राप्त रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. अशधारकों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित फर्द मौका अवलोकनार्थ पत्र के साथ संलग्न है।
2. आवेदक को नवीन रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है।
3. आवदेक की अराजी में पहुंचने हेतु अन्य कोई व्यकल्पिक रास्ता नहीं है।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तावित मार्ग में कोई निर्माण भवन, बोरवेल वृक्ष इत्यादि नहीं है। नजरी नक्शा साथ में संलग्न है।
5. आवेदक के खसरे में पहुँचने के लिए लघुतम निकटतम रास्ता जो कि नजरी नक्शे में प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित मार्ग में आने वाले खातेदार / खातेदारों के नाम मय खसरा नम्बर 290 रकबा 7.95460 हासमखा पुत्र जीतूखां जाति कायमखानी निवासी सहजूसर के नाम दर्ज है।
6. प्रार्थी व अप्रार्थी में प्रस्तावित प्रार्थी व अप्रार्थीगण में प्रस्तावित मार्ग बाबत् आपसी सहमति है। अप्रार्थी हासमखां पुत्र जीमुखां जाति कायमखानी निवासी सहजूसर ने अपने खेत ख० न० 290 में से मौके पर चालू रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत् सहमति प्रदान की है। उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है. परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में कटा नहीं हुआ है। मौके पर रास्ते सम्बधी कोई विवाद नहीं है।
7. उक्त प्रस्तावित मार्ग में समाविष्ट भूमि मे खातेदार (अप्रार्थी) श्री हासमखां पुत्र जीतुखां जाति कायमखानी निवासी सहजूस[illegible]46 है में से 1150 लम्बाई • 16.5 फुट चौड़ाई = 18975 वर्गफुट यानि 1763 व[illegible]टर[illegible]से प्रस्तावित मार्ग में आती है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिवक्[illegible] सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह उल[illegible] किया गया है कि अपार्थी सं. 01 का खेत सहजूसर में भामासी को जाने वाले आम रास्ते पर स्थित है। यह रास्ता वर्षो से ग्रामवासियों द्वारा

इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब अप्रार्थी ने उक्त रास्ते को कटाने में अनमत्तता दिखाई है। रास्ता न होने के कारण आवागमन में परेशानी उत्पन्न हो रही है, साथ ही कृषि उपकरणों को लाने–ले जाने में कठिनाई हो रही है। इस हेतु, प्रार्थी एवं ग्रामवासी ने अप्रार्थी से लिखित सहमति ली थी, लेकिन अब तक राजस्व अभिलेख में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है और इसके लिए अप्रार्थी से सहमति प्राप्त हो चुकी है। इस संबंध में तहसीलदार महोदय द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है और यह रास्ता वर्तमान में भी स्थित है, लेकिन यह राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है।

तहसीलदार की रिपोर्ट में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

- आवेदक को नवीन रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है।
- आवेदक की भूमि तक पहुंचने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
- प्रस्तावित रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, लेकिन यह स्थल पर मौजूद है।
- प्रस्तावित रास्ता के बारे में प्रार्थी एवं अप्रार्थी की आपसी सहमति है।

निर्णय:

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, न्यायालय ने निर्णय लिया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए और अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 290 से आम रास्ता काटने की स्वीकृति दी जाए। साथ ही, यह रास्ता राजस्व अभिलेख में भी दर्ज किया जाएगा। इस निर्णय से ग्रामवासियों और प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता पूरी होगी और कृषि कार्यों में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होगा।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए व नियम 70 (1)(1) आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 290 रोही ग्राम सहजूसर से प्रस्तावित रास्ता तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शानुसार काटा जाने और इसे राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार चूरू को आदेश दिया जाता है कि वह इस मार्ग को राजस्व अभिलेख में दर्ज करें और इसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:05 IST
Reason: SelfAttested